कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी इस्टेट, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007
दूरभाषः (0771) 4065100-4065110 फैक्सः 2283594
E-mail: mfpfed.cg@nic.in; fed_raipur@cgmfpfed.org Website: www.cgmfpfed.org

सूचना दिनांक 20.02.2019

वर्ष 2018 सीजन के अग्रिम विक्रित लाट जिनके प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, उनके भुगतान के संबंध में विभिन्न बिड़ी लिव्हस मर्चेन्ट एसोसिएशन के आवेदन वनोपज राजकीय व्यापार अन्तर्विभागीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। वनोपज राजकीय व्यापार अन्तर्विभागीय समिति की बैठक क्रमांक 232 दिनांक 19.02.2019 में निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः-

- समस्त लंबित किश्तों की देय राशि की भुगतान की तिथि दिनांक 20.02.2019 को बढ़ाकर देय राशि के भुगतान की तिथि दिनांक 30.06.2019 तक की जावे। उक्त सुविधा बिना ब्याज माफ किये दी जावेगी अर्थात ब्याज निर्धारित किश्तों की तिथि से ही गणना की जावेगी।
- करार अवधि दिनांक 30.03.2019 से बढ़ाकर दिनांक 31.07.2019 की जावे।
- 15 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप की राशि की बैंक गारण्टी / एफ.डी.आर की तिथि दिनांक 30.04.2019 से बढ़ाकर 31.07.2019 तक लिया जावे।
- लाटों का बीमा दिनांक 30.04.2019 से बढ़ाकर दिनांक 31.07.2019 तक लिया जावे।

जो क्रेता उपरोक्त सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस आशय का शपथ पत्र प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर को डाक अथवा ई-मेल से दिनांक **05.03.2019** तक प्रस्तुत करेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि विलंब के कारण ब्याज में कोई छूट नहीं दिया जावेगा तथा ब्याज निर्धारित देय तिथि से लिया जावेगा।

(कौशलेन्द्र कुमार)
कार्यकारी संचालक (व्या. एवं वि.)
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

E/Dubey/IDC/Karyawahi Vivran 2018